रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216151
CG-DL-E-14022020-216151

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2020/माघ 24, 1941
No. 94] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2020/MAGHA 24, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

सा.का.नि.112(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 कक की उपधारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में नियम 114कक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"114ककक. स्थायी खाता संख्यांक को अप्रवर्तनीय बनाने की रीति- (1) जहां किसी व्यक्ति को 1 जुलाई, 2017 को स्थायी खाता संख्यांक आवंटित किया गया है और धारा 139कक की उपधारा (2) के अधीन उस आधार संख्यांक को सूचित किया जाना अपेक्षित है, यदि तारीख 31 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व वह उसकी सूचना देने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक उक्त तारीख के ठीक पश्चात् इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने के प्रयोजनों के लिए अप्रवर्तनीय हो जाएगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति, जिसका स्थायी खाता संख्यांक उपधारा (1) के अधीन अप्रवर्तनीय हो गया है, को इस अधिनियम के अधीन स्थायी खाता संख्यांक प्रस्तुत, सूचित या उद्धृत करना अपेक्षित है, वहाँ यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थायी खाता संख्यांक, यथास्थिति, प्रस्तुत, सूचित या उद्धृत नहीं किया और वह इस अधिनियम के अधीन स्थायी खाता संख्यांक प्रस्तुत, सूचित या उद्धृत नहीं करने के सभी परिणामों के लिए दायी होगा ।

(3) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने अपना आधार संख्यांक धारा 139कक की उपधारा (2) के अधीन तारीख 31 मार्च, 2020 के पश्चात् सूचित किया है, वहाँ उसका स्थायी खाता संख्यांक सूचना देने की तारीख से इस अधिनियम के अधीन आधार संख्यांक प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने के प्रयोजनों के लिए दिया हुआ समझा जाएगा और उपनियम (2) के उपबंध सूचना देने की ऐसी तारीख से लागू नहीं होंगे ।

(4) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन स्थायी खाता संख्यांक के प्रवर्तनीय होने की प्रास्थिति का सत्यापन करने हेतु प्रक्रिया के साथ रूपविधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा ।"

[अधिसूचना सं.11/2020/फा.सं. 370149/166/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. संख्यांक 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सा.का.नि. सं. 110(अ), तारीख 12th फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।